

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 20/22  
ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0-(किश्त)-102-21/2013

पटना, दिनांक 12/09/14

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,  
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
सभी उप विकास आयुक्त,  
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी,  
सभी कार्यक्रम पदाधिकारी,  
सभी ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक,  
सभी ग्रामीण आवास सहायक,  
सभी पंचायत रोजगार सेवक ।

**विषय :-** इंदिरा आवास को भौतिक रूप से पूर्ण कराने के लिए लाभुक के खाते में हस्तांतरित सहायता राशि की निकासी एवं इन्दिरा आवास निर्माण कार्य का मनरेगा के साथ अभिसरण के संबंध में।

**प्रसंग :-** ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार से मनरेगा योजनान्तर्गत इंदिरा आवास निर्माण के संबंध में प्राप्त मार्ग-दर्शिका ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बेघर बी0पी0एल0 परिवारों को इंदिरा आवास योजना अंतर्गत सहायता राशि उपलब्ध कराकर उनके आवास की समस्या का स्थायी समाधान करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है । आवास का निर्माण लाभुकों द्वारा स्वयं किया जाना है । आवास निर्माण के क्रम में राशि की कमी नही हो, इसे दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान में प्रथम किश्त के रूप में ₹ 60,000 से छत निर्माण तथा शौचालय निर्माण के बाद द्वितीय किश्त की राशि भुगतान करने का प्रावधान है । लाभुकों द्वारा सहायता राशि प्राप्त कर निर्माण कराये जा रहे आवास को पूर्ण कराने की दिशा में सघन पर्यवेक्षण करने का दिशा-निर्देश निर्गत किये गये है, फिर भी बड़ी संख्या में आवास निर्माणाधीन/अपूर्ण रह जाते है, जिसके चलते इंदिरा आवास जैसी महत्वपूर्ण योजना का उद्देश्य पूर्ण नही हो पाता है ।

2. दिनांक- 30.08.2014 को उप विकास आयुक्तों की राज्य स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में आवास अपूर्ण रहने के संबंध में उप विकास आयुक्तों से प्राप्त feedback से जात होता है कि इंदिरा आवास निर्माण हेतु उनके खाते में हस्तान्तरित राशि को लाभुकों द्वारा अन्य कार्य पर व्यय कर लिये जाने के

12

कारण प्रत्येक वर्ष पूर्ण इंदिरा आवासों की संख्या निरंतर घट रही है जो राज्य सरकार के लिए चिन्ता का विषय है ।

3. मनरेगान्तर्गत अभिसरण के आधार पर इंदिरा आवास के निर्माण हेतु भारत सरकार से प्राप्त मार्गदर्शिका में विभिन्न प्रावधान किए गए हैं ।

4. उप विकास आयुक्तों से प्राप्त सुझावों एवं मनरेगान्तर्गत अभिसरण के आधार पर इंदिरा आवास निर्माण हेतु MoRD से प्राप्त मार्ग-दर्शिका पर सम्यक् रूप से विचारोपरांत निम्नांकित दिशा-निदेश दिये जाते हैं -

- (क) पहले किश्त की राशि लाभुकों के बैंक खाते में हस्तांतरित करने के पूर्व इस पत्र के साथ संलग्न की गयी Stop Payment आदेश के प्रपत्र में प्राप्त घोषणा संबंधित बैंक को भेजना सुनिश्चित किया जाय ।
- (ख) लाभुकों के खाते में प्रथम किश्त के रूप में पूर्ववत् ₹ 60,000 की राशि हस्तांतरित की जायेगी, किन्तु उक्त हस्तांतरित राशि में से लाभुक के द्वारा मात्र ₹ 20,000 बैंक से बिना ग्रामीण आवास सहायक के अनुशंसा के निकासी की जा सकेगी ।
- (ग) ₹ 20,000 की निकासी की गई राशि का उपयोग आवास निर्माण कार्य में कर लेने के बाद ग्रामीण आवास सहायक के प्रमाण पत्र के आधार पर पुनः ₹ 20,000 बैंक से निकासी की जा सकेगी । इसी तरह प्रथम किश्त की अवशेष राशि (अर्थात् ₹ 20,000) ग्रामीण आवास सहायक के प्रमाण पत्र के आधार पर ही लाभुक के द्वारा निकासी की जा सकेगी ।
- (घ) सभी लाभुक से लिये जाने वाले बैंक खाता को Stop Payment करने के संबंध में एक घोषणा-पत्र तथा लाभुकों के खाते में प्रथम किश्त के रूप में हस्तांतरित ₹ 60,000 की राशि की निकासी किस तरह से की जायेगी से संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा बैंक के शाखा-प्रबंधक को भेजे जाने वाले पत्र का प्रारूप संलग्न है ।
- (ङ) लाभुकों द्वारा दिया जाने वाले Stop Payment संबंधी घोषणा-पत्र एवं लाभुक द्वारा किश्त की निकासी के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा बैंको के शाखा प्रबंधक को दिये जाने वाला पत्र लाभुक के खाते में प्रथम किश्त की राशि अंतरित किये जाने के पूर्व बैंक को भेजा जाना आवश्यक होगा । इसमें किसी भी तरह की लापरवाही के लिए प्रखंड विकास पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार माने जायेंगे तथा लापरवाही के लिए उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी ।
- (च) निर्माण कार्य के प्रत्येक चरण के पूर्ण होने पर लाभुक को ससमय भुगतान के लिए ग्रामीण आवास सहायक एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। विभागीय कार्यपालक अभियन्ता ने ₹ 60,000 के प्रथम किश्त में तीन चरणों को निम्नवत् परिभाषित किया है :-

क्रम सं०	चरण	बैंक से प्राप्त राशि	राशि से पूर्ण किए जाने वाले कार्य
(i)	प्रथम चरण	₹ 20,000	प्लिंथ लेवल तक
(ii)	द्वितीय चरण	₹ 20,000	लिटल लेवल तक
(iii)	तृतीय चरण	₹ 20,000	छत लेवल तक

(ख) आवास पर्यवेक्षक प्रत्येक पंचायत के निर्माणाधीन 5% आवासों की जांचकर प्रतिवेदन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को देंगे। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इस प्रतिवेदन के आधार पर ग्रामीण आवास सहायकों के कार्य का पर्यवेक्षण कर सकेंगे।

5. इस क्रम में इंदिरा आवास इकाईयों के निर्माण में अकुशल मजदूरी मद में मनरेगान्तर्गत मजदूरी के भुगतान किये जाने के संबंध में भारत सरकार से प्राप्त मार्ग-दर्शिका में अंकित प्रावधान के अनुरूप इंदिरा आवास निर्माण के विभिन्न स्तरों पर निम्नवत् मानव दिवस सृजित होते हैं :-

क्रम सं०	इंदिरा आवास निर्माण का चरण	कुल सृजित अकुशल मानव दिवस का प्रतिशत	मानव दिवस की संख्या	मानव दिवस की संख्या (I.A.P.जिला में)
(1)	प्लिंथ लेवल तक	31%	28	30
(2)	प्लिंथ से लिंटल लेवल तक	26%	24	25
(3)	लिंटल से छत लेवल तक	11%	10	10
(4)	छत लेवल से आवास पूर्ण होने तक	32%	28	30
कुल सृजित अकुशल मानव दिवस			90	95

इंदिरा आवास निर्माण के क्रम में मनरेगा के साथ अभिसरण कर उपर्युक्त तालिका के अनुरूप इंदिरा आवास निर्माण के विभिन्न चरणों में अकुशल मजदूरी का भुगतान करने की भी व्यवस्था की जाय।

6. उपर्युक्त अभिसरण को कार्यान्वित किये जाने के विभिन्न सोपान निम्नवत् होंगे :-

(क) आवास सॉफ्ट पर लाभुकों की सूची को स्वीकृति दिए जाने के पश्चात् उस सूची की एक प्रति संबंधित कार्यक्रम पदाधिकारी को प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा प्रेषित की जायेगी,

(ख) चूंकि सूची पर पूर्व में ही सामाजिक अंकेक्षण के तहत ग्राम-सभा का अनुमोदन प्राप्त किया गया है अतः, उपर्युक्त सूची पर सक्षम प्राधिकार द्वारा एक संयुक्त प्रशासनिक स्वीकृति / वित्तीय स्वीकृति निर्गत किया जायेगा,

(ग) पंचायत रोजगार सेवक के मांग के आधार पर (जैसे ही लाभुक आवास निर्माण का कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं) कार्यक्रम पदाधिकारी निर्माण के प्रत्येक चरण के लिए ई-मस्टर रॉल निर्गत करेंगे,

(घ) उपर्युक्त मस्टर-रॉल का संधारण उस पंचायत के पंचायत रोजगार सेवक के द्वारा किया जायेगा,

(ङ) आवास निर्माण के प्रत्येक चरण की समाप्ति पर मस्टर-रॉल बन्द किया जायेगा अर्थात्

- I. प्लिंथ लेवल तक कार्य समाप्त होने पर,
- II. लिंटल लेवल तक कार्य समाप्त होने पर,

- III. छत लेवल तक कार्य समाप्त होने पर तथा
- IV. आवास निर्माण परिष्करण (Finishing) होने पर ,  
प्रत्येक चरण पर मस्टर रॉल बन्द किया जायेगा ।

(च) आवास निर्माण कार्य के प्रत्येक चरण की समाप्ति पर पंचायत तकनीकी सहायक मापी-पुस्त पर उस चरण के निर्माण कार्य के पूरा होने के संबंध में प्रविष्टि करेंगे तथा निर्माण कार्य संतोषजनक होने संबंधी प्रमाण-पत्र अंकित करेंगे । पंचायत तकनीकी सहायक अकुशल मजदूरी के भुगतान की अनुशंसा मापी-पुस्त पर अंकित करेंगे,

(छ) इस तरह से इंदिरा आवास योजनान्तर्गत निर्माणाधीन प्रत्येक आवास निम्नांकित उद्देश्य के लिए मनरेगान्तर्गत कार्य माने जाएंगे :-

- I. मनरेगान्तर्गत एक अनन्य कार्य पहचान संख्या आवंटित करने हेतु,
- II. क्रियान्वित योजनाओं के संबंध में कार्य एवं परिसम्पत्ति पंजी में प्रविष्टि करने हेतु,
- III. ग्राम सभा के द्वारा सामाजिक अंकेक्षण किये जाने हेतु,
- IV. निगरानी एवं अनुश्रवण समिति के द्वारा मूल्यांकन हेतु ।

(ज) ग्राम पंचायत, निर्मल भारत अभियान के कर्मी तथा ग्रामीण आवास सहायक यह सुनिश्चित करेंगे कि इंदिरा आवास निर्माण के साथ निर्मित किए जाने वाले व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण कार्य भी उसी चरणबद्ध तरीके से पूरा हो । इसके लिए शौचालय निर्माण हेतु आवश्यक सामग्रियों की निर्बाध आपूर्ति की योजना और उसका क्रियान्वयन किया जाना आवश्यक होगा ।

(झ) मनरेगान्तर्गत क्रियान्वित किये जा रहे अन्य योजनाओं की भांति मनरेगा से अभिसरण कर निर्माण करवाये जा रहे इन्दिरा आवास के निर्माण की प्रगति का अनुश्रवण जिला कार्यक्रम समन्वयक-सह-जिला पदाधिकारी के द्वारा किया जायेगा ।

(ञ) इस तरह के अभिसरण से निर्मित आवास का विवरण एवं अकुशल मजदूरी के मद में हुए व्यय का विवरण नरेगा सॉफ्ट पर प्रविष्टि की जायेगी ।

(ट) अभिसरण के क्रम में सतर्कता के बिन्दु :-


- (i) निर्माणाधीन इंदिरा आवास का ले-ऑउट, डिजाइन एवं विशिष्टियाँ इंदिरा आवास योजना के मार्गदर्शिका के अनुरूप होनी चाहिए ।
- (ii) निर्माणाधीन इंदिरा आवास पक्का होना चाहिए ।
- (iii) लाभुक का जॉब कार्ड होना चाहिए तथा लाभुका यदि शारीरिक विकलांग, 60 वर्ष से ज्यादा अथवा शारीरिक कार्य करने में अक्षम न हो, तो स्वयं काम करेंगे,
- (iv) मजदूरी का भुगतान पोस्ट ऑफिस / बैंक खाते के माध्यम से ही किया जाएगा ।
- (v) इस कार्य में संवेदक अथवा मशीन का उपयोग नहीं किया जाएगा ।
- (vi) इंदिरा आवास की स्वीकृति परिवार के महिला-प्रधान अथवा पति-पत्नी के संयुक्त नाम से (विधवा, अविवाहित, परित्यक्त व्यक्ति को छोड़कर) की जायेगी तथा यह आवास सॉफ्ट पर भी परिलक्षित होना चाहिए ।

7. इंदिरा आवास लाभुक की इच्छानुसार छत निर्माण का कार्य प्राइमरी प्रोड्यूसर से प्राप्त अल्युमिनियम शीट से की जा सकेगी तथा इस तरह से निर्मित आवास पक्का आवास माना जायेगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निदेश विभागीय पत्रांक 196657 दिनांक 14/08/2014 तथा पत्रांक 198808 दिनांक 01/09/2014 से पूर्व में ही दिया जा चुका है जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है।

अनुरोध है कि उपर्युक्त दिशा-निर्देश का सख्ती के साथ पालन करते हुए निर्माणाधीन इंदिरा आवास योजनाओं को समयबद्ध तरीके से तीन माह के अंदर पूर्ण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

अनुलग्नक- यथोक्त।

विश्वासभाजन

  
(एस० एम० राज)  
सरकार के सचिव 9114

जापांक- 201122

पटना,


दिनांक- 12/09/14

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आप्त सचिव, मंत्री ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- IT Manager, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- श्री सतीश कुमार सिंह, Assistant General Manager, SLBC, Bihar, SBI, 5<sup>th</sup> Floor, Local Head Office, West Gandhi Maidan, Patna – 800 001, Email - slbc.bihar@sbi.co.in को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि विभागीय निर्णय के संबंध में अपने स्तर से बैंकों को निदेश देना सुनिश्चित करेंगे।

  
सरकार के सचिव  
12/9/14

13

प्रेषक,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,

..... ।

सेवा में,

शाखा प्रबंधक,

.....,

..... ।

**विषय :-** इंदिरा आवास के लाभुक श्री / श्रीमती ..... के खाता में हस्तांतरित की गयी इंदिरा आवास योजना की राशि की निकासी करने के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि श्री / श्रीमती ..... इंदिरा आवास लाभुक को पहली किश्त ₹ 60 हजार उनके बैंक खाता सं०- ..... में हस्तांतरित किया गया है । हस्तांतरित की गयी इस राशि को निम्नांकित दिशा-निदेश के अनुसार लाभुकों को भुगतान करना सुनिश्चित करें एवं इस पत्र को स्टॉप पेमेंट पत्र माना जाए :-

1. पहली किश्त ₹ 60 हजार में से ₹ 20 हजार बिना ग्रामीण आवास सहायक के अनुशंसा पत्र के ही लाभुकों द्वारा निकासी किया जा सकता है ।
2. दूसरी किश्त ₹ 20 हजार ग्रामीण आवास सहायक के अनुशंसा पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही लाभुकों के द्वारा खाता से निकासी की जाएगी ।
3. तीसरी किश्त ₹ 20 हजार ग्रामीण आवास सहायक के अनुशंसा पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही लाभुकों को चेक पारित कर लाभुकों को भुगतान किया जाएगा ।

उपरोक्त निदेश इसलिए दिया जा रहा है, क्योंकि इंदिरा आवास के बड़ी संख्या में लाभुकों द्वारा पूर्व में एक किश्त में ₹ 60 हजार की निकासी कर अन्य मद में इस राशि को खर्च कर दिया गया, जिसके कारण इंदिरा आवास को आज तक पूर्ण नहीं कराया जा सका । अतः इस दिशा-निदेश का सख्ती से अनुपालन करना सुनिश्चित किया जाए ।

इस स्टॉप पेमेंट को देने, ग्रामीण आवास सहायक द्वारा अनुशंसा करने के बाद ही अन्य किश्त का भुगतान करने हेतु तथा तब तक स्टॉप पेमेंट करने हेतु इंदिरा आवास लाभुक द्वारा स्वयं ही प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्राधिकृत किया गया है जो इस पत्र के साथ में संलग्न है ।

विश्वासभाजन,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,

..... ।



प्रेषक,

.....  
 (लाभुको का नाम एवं पूर्ण पता)  
 .....

सेवा में,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,  
 .....  
 (प्रखंड का नाम)

विषय :- इंदिरा आवास योजना के ..... (खाता नं0) बैंक खाता का संचालन करने हेतु  
 Stop Payment करने के घोषणा के संबंध में ।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि मेरा बैंक खाता ..... बैंक,  
 शाखा ..... में खुला है जिसका खाता संख्या- ..... है । इस खाता में  
 ₹ 60 हजार प्रथम किश्त इंदिरा आवास निर्माण के लिए मिलेगा । जब-जब ग्रामीण आवास सहायक द्वारा  
 हमारे आवास निर्माण की प्रगति देखकर निरीक्षण रिपोर्ट के साथ दूसरा किश्त देने हेतु अनुशंसा की जाएगी  
 उसके अनुसार प्रथम किश्त के ₹ 60 हजार की निकासी मेरे द्वारा बैंक से तीन किश्तों में निकासी की  
 जायेगी । उसमें प्रथम निकासी ₹ 20 हजार इंदिरा आवास सहायक के अनुशंसा के बिना कर सकेंगे और  
 अन्य ₹ 40 हजार दो किश्तों में इंदिरा आवास सहायक के अनुशंसा के आधार पर ही बैंक से निकासी करेंगे  
 । इसलिए बैंक को मेरे द्वारा हमारे खाता में Stop Payment करने के लिए आपको प्राधिकृत करता हूँ ।

विश्वासभाजन,

(लाभुका का नाम पता)





Commission (Mandate)

As

DDO (Sahar)

DDO (SIC)

**GUIDELINES  
FOR  
CONSTRUCTION OF HOUSES**  
(SANCTIONED UNDER INDIRA AWAAS YOJANA OR  
SUCH OTHER STATE OR CENTRAL GOVERNMENT  
SCHEME)  
**Under MGNREGA**

Please

by

30/6/14

1/11/14

**Ministry of Rural Development  
Government of India**

June, 2014



## CONTENT

S. No.	Particulars	Page No.
1.	CONTEXT	3
2.	OBJECTIVES	3
3.	ACTIVITIES THAT CAN BE UNDERTAKEN	3
4.	DESIGNS/ SPECIFICATIONS	3
5.	NON-NEGOTIABLES IN WORK EXECUTION	3-4
6.	PROCESSES IN PLANNING AND EXECUTION	4
7.	MODE OF EXPENDITURE	5
8.	MONITORING & REPORT	6

## LIST OF ABBREVIATIONS

IAY	Indira Awaas Yojana
AS/FS	Administrative / Financial Sanction
DPC	District Programme Coordinator
GOI	Government of India
GP	Gram Panchayat
GRS	Gram Rozgar Sahayak
Unique ID Number	Unique Identification Number
IHHL	Individual Household latrine
J.EN	Junior Engineer
MGNREGA	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
MGNREGS	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme
MoRD	Ministry of Rural Development
MoDWS	Ministry of Drinking Water and Sanitation
PO	Programme Officer
Scheme	Scheme for construction of a weaker section house either under IAY or such other State or Central Govt. programme.
SoR	Schedule of Rates
TA	Technical Assistant
TS	Technical Sanction
TSC	Total Sanitation Campaign
NBA	Nirmal Bharat Abhiyan

**GUIDELINES FOR TAKING UP UNSKILLED WAGE COMPONENT UNDER MGNREGA IN CONSTRUCTION OF HOUSES SANCTIONED UNDER INDIRA AWAAS YOJANA OR SUCH OTHER STATE OR CENTRAL GOVERNMENT SCHEME**

**1. CONTEXT:**

The Ministry of Rural Development has carried out amendment in Schedule – I, at Para 4 (1) II. (iv), of MGNREGA, vide Notification Dated 3<sup>rd</sup> January, 2014 that “Unskilled wage component in construction of houses sanctioned under the Indira Awaas Yojana or such other State or Central Government Scheme” can be covered under MGNREGS in creation of individual assets for vulnerable sections (only for households in Paragraph 5 of Schedule-I, MGNREGA).

**2. OBJECTIVE:**

The objective is to compensate the beneficiary for the foregone wage employment and thereby monetise the hitherto unaccounted unskilled wage component of the construction of houses under IAY or such other State or Central Government Scheme (hereinafter referred to as ‘Scheme’) within the ambit of MGNREGA, so that the durable assets are built up under MGNREGS; and quality of the houses is improved, enhancing the quality of life of rural poor.

*man day?*

**3. ACTIVITIES THAT CAN BE UNDERTAKEN UNDER MGNREGA:**

Unskilled wage component of construction of new houses sanctioned under the scheme, provided that the assistance from MGNREGA for construction of the house shall be subject to the provisions in Para 7 below.

**4. DESIGNS/SPECIFICATIONS:**

- ✓(i) The layout, designs and specifications of the house should be as per the guidelines of the respective scheme.
- (ii) The house shall be a pucca and durable structure, in construction of which, MGNREGS encourages use of local designs, use of locally available material, eco-friendly and labour intensive technologies.

**5. NON-NEGOTIABLES IN WORK EXECUTION:**

- ✓(i) The beneficiary shall have a job card and shall be from the categories specified in Paragraph 5 of the Schedule I of the Act.
- ✓(ii) The work shall be undertaken by the beneficiary herself/himself, unless the beneficiary is physically handicapped or of the age of more than 60 years, unable to do physical work herself/himself.

- (iii) The selection of beneficiaries will be done as per IAY/ scheme guidelines.
- ✓(iv) Wage payments will be paid only through banks/ post office accounts unless exempted by MoRD.
- ✓(v) No contractor and labour displacing machinery will be deployed for construction of house.

#### 6. PROCESSES IN PLANNING AND EXECUTION:

- (i) After selection of the beneficiaries as per the Scheme guidelines, the list will be communicated to the Programme Officer (PO) for inclusion of the same in the shelf of works.
- (ii) A combined AS/FS will be issued for all houses that are approved by Gram Sabha within one GP.
- (iii) The individual house unit will be treated as a MGNREGA work for the purposes of
  - (a) Giving a unique work ID
  - (b) Entry in works & asset register
  - (c) Social Audit by Gram Sabha
  - (d) Evaluation by Vigilance and Monitoring Committee.
- (iv) As and when the beneficiary is ready to take up construction, the PO, based on the requisition of the Gram Rozgar Sahayak (GRS), shall issue a muster roll for each Stage as defined in Para 7 below.
- (v) The muster roll will be maintained by the GRS.
- (vi) The Muster shall be closed at following stages of construction or at stages as decided by the State Government:
  - (a) work up to plinth level,
  - (b) From plinth level to lintel level,
  - (c) From lintel level to roof level
  - (d) From roof level to finishing i.e. completion of the work
- (vii) On closure of the muster at each Stage, the Technical Assistant shall record and certify the satisfactory completion of the stage of house as mentioned above in the M-Book (details of measurement are not needed) and recommend the same for payment for the wage portion of the work.

#### 7. MODE OF EXPENDITURE:

- (i) The total number of unskilled persondays required for construction of a house of at least 20 sq mts as per IAY guidelines is fixed at 95 persondays for north-east and hilly region; and 90 persondays for other areas. The wages for these persondays in lieu of foregone wage employment by the beneficiaries can be paid under MGNREGA over and above the unit cost fixed for IAY/other housing scheme.
- (ii) Each stage of the house shall be recorded as detailed in para 6 (vi) above, and the payment for unskilled wage shall be made as per the persondays indicated in these guidelines.
- (iii) Based on the model estimation of a house of 20 sq mts, the unskilled person days required at different stages of construction is as given below. However, States may


reallocate the given persondays between various stages as per the prevailing practice in the State:

S. No.	STAGES OF CONSTRUCTION	% of total unskilled person days permitted under MGNREGS in completion of house	PERSON DAYS (Out of total 90 unskilled person days permitted in plain areas)	PERSON DAYS (Out of total 95 unskilled person days permitted in hilly, difficult, & IAP distt.)
1.	Up to plinth level	31%	28	30
2.	From plinth level to lintel level	26%	24	25
3.	From lintel level to roof level	11%	10	10
4.	From roof level to finishing	32%	28	30
<b>Total unskilled person days permitted under MGNREGS in completion of house</b>			<b>90</b>	<b>95</b>

- (iv) In construction of IHHL with house, the GP with the help of NBA team will ensure that all activities and supply of material are also planned and executed in such a way that there is continuity in execution and completion of IHHL work with completion of house construction work.

#### 8. MONITORING AND REPORT:

- (i) Progress of construction of the house in convergence of MGNREGS & housing scheme; and MGNREGS & NBA shall be the responsibility of the District Programme Coordinator (DPC) and the agency implementing IAY/other housing scheme and NBA as mentioned in the respective guidelines.
- (ii) The house constructed under the scheme shall be subject to the social audit as laid down in the Audit of Scheme Rules 2011.
- (iii) Details of the houses constructed with this provision and the expenditure incurred shall be entered in the NREGASoft.

  
 (R. Subrahmanyam)  
 Joint Secretary (MGNREGA)

पत्रांक- 196657 / 14.08/2014

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू  
सरकार के सचिव।

सवा में,

सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/  
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक/  
सभी ग्रामीण आवास सहायक, बिहार।

पटना, दिनांक

अगस्त 2014

विषय:-मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना अन्तर्गत लाभान्वित किये जाने वाले परिवारों को छत निर्माण हेतु वैकल्पिक सामग्री उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार के द्वारा जनवरी, 1996 से इंदिरा आवास योजना स्वतंत्र रूप से लागू की गयी। जिसके अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले बेघर परिवारों को स्थायी मकान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सहायता राशि दी जाती है। पूर्व में इस योजना के अन्तर्गत मात्र 20 हजार रू० की सहायता दी जाती थी। सहायता राशि पर्याप्त नहीं रहने के कारण अनेकों मामले में आवास का निर्माण लाभुक के द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सका। यह समस्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के मामले में ज्यादा गंभीर है, क्योंकि मकान निर्माण पूर्ण करने के लिए आवश्यकता के अनुरूप अपनी ओर से राशि लगाने में वे सक्षम नहीं हो सके।

2. उपर्युक्त कठिनाइयों को देखते हुए दिनांक 01.04.2004 के पूर्व इंदिरा आवास योजना अन्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों के लिटल स्तर तक निर्मित किन्तु छत निर्माण नहीं होने के कारण अधूरे/अपूर्ण इंदिरा आवास का छत निर्माण कराकर आवास को पूर्ण करने के लिए उद्देश्य से मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना के अन्तर्गत प्रति लाभुक 30 हजार रू० अनुदान के रूप में सहायता उपलब्ध कराने हेतु योजना स्वीकृत की गयी है।

3. वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लिटल स्तर से आवास पूर्ण करने हेतु इस योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली सहायता राशि से किस प्रकार आवासों को पूर्ण कराया जाए, इस संबंध में दिनांक 02.08.2014 को एक कार्यशाला आयोजित की गयी। इस कार्यशाला में जैसे अधूरे आवास जिनका निर्माण 10 या 10 से अधिक वर्ष पूर्व हुआ है, उसके छत निर्माण हेतु किस प्रकार की सामग्री उपयुक्त होगी, इस विषय पर बर्किंग ग्रुप की राय प्राप्त की गयी। उक्त सुझाव के आलोक में निम्नांकित निदेश दिया जाता है:-



(i) छत के निर्माण हेतु ऐसी सामग्री का उपयोग किया जाए जो हल्की हो ताकि कमजोर दीवारें भी इनका भार सहन कर सकें।

(ii) तकनीकी टीम के द्वारा ऐसे छतों के निर्माण हेतु अल्युमिनियम सीट के प्रयोग करने का सुझाव दिया गया, क्योंकि यह सामग्री हल्की होती है, जग नहीं लगता है, और न ही रख-रखाव की आवश्यकता पड़ती है तथा इसका रि-सेल भेल्यू भी अधिक है। अर्थात् कालान्तर में यदि लाभुक अपने आवास का पुनर्निर्माण कराना चाहें तो लाभुक को अल्युमिनियम सीट बेचने पर बेहतर मूल्य प्राप्त हो सके। इस कारण से छत निर्माण हेतु अल्युमिनियम सीट का उपयोग श्रेष्ठ होगा।

(iii) आज-कल बाजार में स्केप से बने अल्युमिनियम सीट भी बहुतायत से मिलते हैं। अतः अल्युमिनियम सीट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु लाभुकों को प्राइमरी प्रोड्यूसर से अल्युमिनियम सीट क़य करने को प्रोत्साहित किया जाए। इस क्रम में बिचौलियों से बचने हेतु लाभुक के द्वारा भुगतान डी.डी के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर/मैनुफेक्चरर कंपनी के नाम से किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी परिस्थिति में डिस्ट्रीब्यूटर/मैनुफेक्चरर को अग्रिम भुगतान लाभुकों द्वारा नहीं दिलवाया जाए।

(iv) प्राइमरी प्रोड्यूसर की विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न किया गया है।

कृपया तदनुसार कार्रवाई की जाए।

विश्वास भाजन,  
(एसओ/एमओ राज)  
सरकार के सचिव B/8/14

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 198808  
ग्रा0वि0-5/इ0आ0यो0(जीर्णोद्धार)-143/2011

पटना, दिनांक 01/09/14

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,  
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- "मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना" के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की कमी को दूर करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार द्वारा जनवरी 1996 से स्वतंत्र "इंदिरा आवास योजना" के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे बेघर परिवारों को स्थायी आवास की सुविधा मुहैया कराने हेतु मकान निर्माण कराने के लिए सहायता राशि उपलब्ध करायी जाती रही है । कालान्तर में इस योजना के अंतर्गत घर की इकाई लागत में समय-समय पर संशोधन हुए हैं । दिनांक 01.04.2004 के पूर्व प्रति गृह इकाई, मात्र ₹ 20,000 (बीस हजार रुपये) ही सहायता राशि मिलती थी । लाभुक के द्वारा अपनी ओर से अंशदान नहीं करने के कारण कई मामलों में आवास पूर्ण करने हेतु यह राशि अपर्याप्त रही । विशेषकर यह समस्या अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के मामले में ज्यादा गंभीर है क्योंकि मकान निर्माण पूर्ण करने के लिए आवश्यकता के अनुरूप अपनी ओर से राशि लगाने के लिए वे सक्षम नहीं हो सके ।

उपर्युक्त कठिनाईयों को देखते हुए दिनांक 01.04.2004 के पूर्व इंदिरा आवास योजनान्तर्गत लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवारों के लिटल स्तर तक निर्मित किन्तु छत निर्माण नहीं किये जाने के कारण अधूरे/अपूर्ण इंदिरा आवास का छत निर्माण कराकर आवास को पूर्ण करने के लिए "मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना" के तहत प्रति लाभुक ₹ 30,000 (तीस हजार रुपये) अनुदान के रूप में सहायता राशि उपलब्ध कराने की योजना स्वीकृत की गयी है ।

निधि की उपलब्धता तथा जिलों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जिलावार राशि शीघ्र ही आवंटित की जा रही है । चूँकि यह योजना शत प्रतिशत राज्य प्रायोजित है, अतः इसका लेखा संधारण तथा बैंक खाता सामान्य इंदिरा आवास से अलग रखा जायेगा । चार्टर्ड एकाउन्टेंट से इस योजना का अलग से अंकेक्षण कराया जायेगा तथा इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र भी अलग से ग्रामीण विकास विभाग को भेजा जायेगा ।

## (1) पात्रता की शर्तें :-

- i) लाभान्वित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का ही हो, जिसको 01.04.2004 के पूर्व इंदिरा आवास योजनान्तर्गत सहायता राशि स्वीकृत हुआ हो ।
- ii) लाभार्थी द्वारा लिटल स्तर तक का कार्य भौतिक रूप से पूर्ण कर लिया गया हो तथा स्थायी छत का निर्माण नहीं हुआ हो ।
- iii) लाभार्थी को दूसरा कोई पक्का घर नहीं हो ।
- iv) लाभार्थी वर्तमान में स्थायी सरकारी सेवक नहीं हो ।

(2) योग्य लाभुक की सूची तैयार करना :- विभागीय निदेश के आलोक में प्रायः सभी जिलों के द्वारा जीर्णोद्धार योजना के लिए पात्र लाभुकों की सूची तैयार कर ली गयी है परन्तु बेगुसराय, दरभंगा, जमुई, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण, समस्तीपुर एवं शेखपुरा जिलों से लाभुकों की सूची विभाग को प्राप्त नहीं है, वे अविलम्ब चयनित लाभार्थियों की सूची विभाग को भेजें । इस योजना के तहत अनुदान स्वीकृत करने के लिए लाभुक सहित इंदिरा आवास का छत निर्माण नहीं होने की फोटोग्राफी कराना अनिवार्य होगा । फोटोग्राफी इस प्रकार करायी जायेगी कि फोटोग्राफ में लाभुक सहित ग्रामीण आवास सहायक भी अपूर्ण आवास के सामने दिखें । इस प्रकार तैयार सूची को फोटोग्राफ सहित जिला पदाधिकारी के अनुमोदन हेतु भेजा जायेगा ।

कतिपय ऐसे मामले सामने आ सकते हैं जिनमें लाभुक की मृत्यु हो चुकी हो । वैसी स्थिति में लाभुक की पति अथवा पत्नी (जो भी लागू हो) को इस योजनान्तर्गत पात्र लाभुक माना जायेगा । पति अथवा पत्नी दोनों के जीवित नहीं रहने की स्थिति में उस परिवार के उत्तराधिकारी को योजना का लाभ दिया जाय बशर्त कि पूर्व में उन्हें अलग से इंदिरा आवास योजना का लाभ नहीं दिया गया हो ।

(3) लाभुकों को स्वीकृति पत्र निर्गत करना :- जिला पदाधिकारी के अनुमोदन के पश्चात प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा लाभुकों को स्वीकृति पत्र निर्गत कर इंदिरा आवास के तहत निर्धारित व्यवस्था के अनुसार हस्तगत कराया जायेगा ।

(4) बैंक खाता खोलना :- चूँकि इस योजनान्तर्गत 01.04.2004 के पूर्व स्वीकृत इंदिरा आवास के लाभुक को लाभ दिया जाना है तथा उस समय बैंक खाता के माध्यम से भुगतान करना अनिवार्य नहीं था, अतः अनेकों लाभुक ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने पहले से बैंक में खाता नहीं खोला हो । ऐसे सभी लाभुकों का बैंक खाता खुलवाया जायेगा । प्रखण्ड विकास पदाधिकारी इस कार्य हेतु Facilitator का कार्य करेंगे । इस कार्य हेतु ग्रामीण आवास सहायक/ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को दायित्व दिया जायेगा जो बैंकों से समन्वय कर लाभुक का फार्म भरवायेंगे तथा लाभुकों की पहचान करेंगे तथा बैंक में खाता खोलवाना सुनिश्चित करेंगे ।

(5) सहायता राशि का भुगतान :- सहायता राशि दो किस्तों में बैंक खाता के माध्यम से दी जायेगी । प्रथम किस्त के रूप में ₹ 20,000 (बीस हजार रुपये) एवं द्वितीय किस्त के रूप में ₹ 10,000 (दस हजार रुपये) की सहायता राशि दी जायेगी । प्रथम किस्त की राशि से लाभुकों के द्वारा छत निर्माण पूर्ण करने पर लाभुक सहित निर्मित छत की फोटोग्राफी के साक्ष्य प्राप्त होने पर द्वितीय किस्त का भुगतान किया जायेगा । द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु फोटोग्राफ




सहित आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदन प्राप्त के 15 दिनों के अंदर जॉचोपरान्त भुगतान करने का दायित्व प्रखण्ड विकास पदाधिकारी का होगा। ग्रामीण आवास सहायक एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक को मोबाइल हेन्ड सेट उपलब्ध हो जाने के पश्चात, इस योजना के अनुश्रवण हेतु फोटोग्राफ को SAAS पर Storage हेतु अपलोड किया जायेगा।

- (6) **छत निर्माण का विकल्प :-** मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजनान्तर्गत ऐसे छत विहीन मकानों को चिन्हित किया गया है जो लगभग 10 वर्ष से अधिक से पुराने हैं और इनका दीवाल छत ढलाई का भार सहन करने योग्य प्रायः नहीं होगा। इस संदर्भ में छत निर्माण हेतु alternative Building Materials का उपयोग करने के संबंध में आयोजित कार्यशाला में तकनीकी टीम द्वारा दिये गये सुझाव के आलोक में निम्नांकित निदेश विभागीय पत्रांक-196655 दिनांक-14.08.14 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा दिया गया है -
- i) मकान के छत का निर्माण लाभुकों के इच्छानुसार एलुमिनियम शीट से भी कराया जा सकता है, इसके लिए कोई रोक नहीं है लेकिन टिन शीट से छत का निर्माण नहीं कराया जाय। चूँकि टिन शीट में जंग लग जाने की वजह से कभी भी टिन शीट में छेद हो सकता है जिसके कारण बरसात में छत चूने की पूरी संभावना बनी रहेगी तथा टिन शीट का Re Sale Value भी नहीं के बराबर होगा।
  - ii) आजकल बाजार में स्क्रैप से बने एलुमिनियम शीट भी बहुतायत से मिलते हैं। अतः एलुमिनियम शीट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु लाभुकों को प्राइमरी प्रोड्यूसर से एलुमिनियम शीट क्रय करने को प्रोत्साहित किया जाय। इस क्रम में बिचौलियों से बचने हेतु लाभुक के द्वारा भुगतान डी0डी0 के माध्यम से Distributor/Manufacturer कंपनी के नाम से किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी परिस्थिति में Distributor/Manufacturer को अग्रिम भुगतान लाभुकों द्वारा नहीं दिलवाया जाय।
- (7) **आवासों को पूर्ण करने की अवधि :-** लाभुकों के खाते में प्रथम किस्त की राशि के हस्तांतरण के तीन माह के अंदर आवासों को पूर्ण कराया जाय। अतः ग्रामीण आवास सहायक एवं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के माध्यम से निर्माण कार्य की प्रगति का सतत् पर्यवेक्षण सुनिश्चित कराया जाय। जो लाभुक निर्धारित अवधि के अंदर आवास को पूर्ण नहीं करेंगे उन्हें एक माह का नोटिस देकर भुगतान की गयी राशि की वसूली की जाय।
- (8) ग्रामीण आवास सहायकों के नियोजन का अवधि विस्तार इस योजना में उनकी उपलब्धि के मुल्यांकन के आधार पर किया जायेगा।

कृपया उपरोक्त के आलोक में आवश्यक तैयारी करायी जाय।

विश्वासभाजन

  
(एस0/एम0 राज)  
सरकार के सूचि  
18/11/14

जापांक 198808 पटना, दिनांक 01/09/14  
 प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

जापांक 198808 पटना, दिनांक 01/09/14 ~~01/09/14~~ 20/8/14  
 प्रतिलिपि- आप्त सचिव, मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।  
 प्रतिलिपि- आईटी0मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के सचिव  
 सरकार के सचिव  
20/8/14

पत्राक- 196655,

14/08/2014

बिहार सरकार  
ग्रामीण विकास विभाग

प्रेषक

एस0 एम0 राजू,  
सरकार क सचिव।

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/  
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक/  
सभी ग्रामीण आवास सहायक, बिहार।

पटना, दिनांक

अगस्त, 2014

विषय-इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास निर्माण में अल्युमिनियम सीट का उपयोग करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपरोक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि इंदिरा आवास योजना के दिशा-निर्देश के अनुसार लाभुकों को अपने मकान में किस तरह के सामग्री का उपयोग करना है यह लाभुकों के क्षेत्राधिकार में आता है। वर्तमान में भवन निर्माण सामग्री का दर बहुत ज्यादा रहने की वजह से प्रत्येक साल इंदिरा आवास योजना के अपूर्ण भवनों की संख्या ज्यादा बढ़ रही है, इसके कारण इंदिरा आवास योजना के मूल उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पा रही है।

2. इस संदर्भ में छत निर्माण हेतु alternative building materials का उपयोग करने के संदर्भ में एक कार्यशाला दिनांक 02.08.2014 को आयोजित हुआ था। उस कार्यशाला में तकनीकी टीम द्वारा यह सुझाव दिया गया था कि यदि छत निर्माण हेतु अल्युमिनियम सीट का उपयोग किया जाए तो छत का रख-रखाव नगण्य होगा, उसका री-सेल भेल्यू कभी भी कम नहीं होगा तथा भविष्य में नया मकान बनाने के समय इस सीट को हटाकर कंक्रीट छत ढालकर दूसरा तल्ला बनाने में इस सीट का उपयोग किया जा सकता है।

3. वर्तमान में कंक्रीट का मकान निर्माण करने पर तकनीकी पदाधिकारी के आकलन के अनुसार लगभग 1.5 लाख रू0 (शौचालय सहित) लागत आयेगी। लेकिन बी0पी0एल0 परिवार को इस योजना के अन्तर्गत शौचालय सहित निर्माण करने के लिए 80 हजार रू0 दिया जा रहा है। इसके कारण अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लाभुकों परिवारों के द्वारा एकमुश्त 70 हजार रू0 की राशि लगाने में सक्षम नहीं रहने के कारण प्रत्येक साल हजारों की संख्या में मकान अपूर्ण रह जाते हैं।



4. उप विकास आयुक्त किशनगज के द्वारा अत्यधिक वर्षा के कारण मकान के क्षतिग्रस्त होने की घटनाएँ घटित होने तथा ढलाई वाले छतों में रिसाव होने पर उसकी मरम्मति में कठिनाई की बात कही गयी है तथा सुझाव दिया गया है कि क्षतिग्रस्त छतों की मरम्मति में होने वाली सुविधा एवं कम लागत के कारण टीन को छत की सामग्री के रूप में प्रावधानित किया जाए।

उपरोक्त के आलोक में तथा आवाओं को समय के अन्दर पूर्ण करने हेतु निम्नांकित दिशा-निर्देश दिया जा रहा है -

(i) मकान के छत का निर्माण लाभुकों के इच्छा अनुसार अल्युमिनियम सीट से भी कराया जा सकता है. इसके लिए कोई रोक नहीं है। लेकिन टीन सीट से छत का निर्माण नहीं कराया जाए। चूंकि टीन सीट में जंग लग जाने की वजह से कभी भी टीन सीट में छेद हो सकता है जिसके कारण वर्षात में छत चूने की पूरी संभावना बनी रहेगी तथा टीन सीट का रि-सेल भेल्यू भी नहीं के बराबर होगा।

(ii) आज-कल बाजार में स्केप से बने अल्युमिनियम सीट भी बहुतायत से मिलते हैं। अतः अल्युमिनियम सीट की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु लाभुकों को प्राइमरी प्रोड्यूसर से अल्युमिनियम सीट कय करने को प्रोत्साहित किया जाए। इस क्रम में विचौलियों से बचने हेतु लाभुक के द्वारा भुगतान डी.डी. के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर/मैनुफेक्चरर कंपनी के नाम से किया जाए। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी परिस्थिति में डिस्ट्रीब्यूटर/मैनुफेक्चरर को अग्रिम भुगतान लाभुकों द्वारा नहीं दिलवाया जाए।

(iv) प्राइमरी प्रोड्यूसर की विवरणी इस पत्र के साथ संलग्न किया गया है।


कृपया तदनुसार कार्रवाई की जाए।


विश्वस भाजन,  
(एस०/एम० राजू)  
सरकार के सचिव।  
13/8/14

इंदिरा आवासयोजना के अन्तर्गत दी जाने वाली किश्तवार राशि

1. प्रथम किश्त में Plinth तक निर्माण कार्य के लिए 20,000/-रु0 (बीस हजार रु0) दी जा सकती है।
2. द्वितीय किश्त में Plinth से Roofing कार्य के लिए 40,000/-रु0 (चालीस हजार रु0) दी जा सकती है।
3. तृतीय एवं अंतिम किश्त में Finishing कार्य के लिए 10,000/-रु0 (दस हजार रु0) दी जा सकती है।

इस प्रकार उपरोक्त किश्तवार राशि देने से इंदिरा आवास निर्माण में तेजी लायी जा सकती है।

  
8/9/14  
V.E  
Allooli (Khaqanagar)

~~As~~  
~~8/9/14~~  
P.O  
  
9/9/14

Indicative estimate for C.M. Indira

House Renovation work

मुख्यमंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार कार्य का प्राक्कलन

Sr.No.	Details	Qty	Rate	Amount
1.	प्रथम श्रेणी ईट से (1:6) अनुपात में सीमेंट मशाला से चिनाईकार्य 2x17'6"x0'10"x2'0"+1'6"/2=51.02ft  1x11'0"x0'10"x2'0" =18.33 ft 1x11'0"x0'10"x1'10" =16.80 ft 1x11'0"x0'10"x1'6" =13.74 ft Total =99.89 ft	2.83m3	Rs3713.50/m3	Rs10509.00
2.	एल्युमिनियम शीट के सहारा हेतु 40 मी.मी. व्यास का G.I. पाईप 2x17'6" = 35 ft	10.76m	Rs 215.17/m	Rs 2296.00
3.	एल्युमिनियम रूफिंग शीट 0.50 मी.मी मोटा AA 3105 H18 एलोय, बालको/नालको एवं हिन्डालको ब्रांड। प्रत्येक शीट पर कम्प्युटराज्ड लेजर प्रिन्टेड मोटा एलोय एवं ब्रांड होना अनिवार्य।	25 sq. m	568.40/sq.m	Rs14210.00
4.	सूचना पट्ट साइज 18"x10"x0.63 mm मोटा G.I प्लेट पर 3 इंच बेंड दोनों तरफा रेस्ट्रो रेफ्लेक्टिव माइक्रो प्रिपेटिक शिफ्टिंग टाइम IV ASTM D 4965 with HIP water mark, facia with abro tape back side powder coated.  सूचना पट्ट			Rs 998.00 500 = 00 Rs 100 = 00
Total				Rs28013.00 27115 = 00
घटाव 13.043/C.P.+O.H. मद 1+2 पर				-Rs 1670.00
समाग्री दुलाई का भाड़ा				Rs. 26343.00
(1) ईट		1149 नं०	Rs 508.67/हजार	25445 = 00 508.67
(2) क्यूल बालू		0.90 m3	Rs 717.50/m3	Rs. 584.00 717.50
(3) सीमेंट		0.25m.t	Rs 234.90/m.t	Rs. 59.00 234.90
जोड़ अन्य फुटकर खर्च				Rs. 1394 = 00 2363.00
			कुल योग	Rs 30,000.00

1/11/14  
N.E

Allouli (Khaggaing)

Say Rs 26839 = 00

Rs. 26839 = 00

12/9/14


29945 Say Rs 30,000/-

9/9/14

**DETAILED ESTIMATE FOR IAY HOUSE**

Sl. No.	SOR 13 BCD	Particulars	Qty.	Rate	Amount
1	2.8.1	नींव में मिट्टी खुदाई कार्य । 3x4.88M x 0.60 M x 0.90 M 2x.267m x 0.60 M x 0.90 M 1.x1.219m x 0.60 m x0.90 m	7.90 M <sup>3</sup> 4.61 M <sup>3</sup> <u>0.65 M<sup>3</sup></u> 13.16 M <sup>3</sup>	178.40	2347.74
2.	2.28.0	कुर्सी में स्थानीय बालू भराई कार्य 3x4.88M x 0.0.60 M x 0.10 M 2x4.267m x 0.60 M x 0.10 M 1.x1.219m x 0.60 m x0.410 m	0.88 M <sup>3</sup> 0.51 M <sup>3</sup> <u>0.07 M<sup>3</sup></u> 1.46 M <sup>3</sup>	186.30	271.998
3.	11.72.0	100 A ईट से पट सोलिंग कार्य। 3x4.88m x 0.50m 2x4.267 m x 0.50 m 1x1.219 m x 0.50 m	7.32 M <sup>2</sup> 4.26 M <sup>2</sup> 0.61 M <sup>2</sup> 12.19 M <sup>2</sup>	212.90	2595.25
4.		नींव में पी.सी.सी. (1:4:8) कार्य । 3 x 4.88 m x 0.45 x 0.10 M 2x4.267m x 0.45 m x 0.10 m 1x1.219 M x 0.45 M x 0.10 M	0.66 M <sup>3</sup> 0.38 M <sup>3</sup> <u>0.05 M<sup>3</sup></u> 1.09 M <sup>3</sup>	2245.10	2447.16
5.	6.1A+ 6.1.14A	प्रथम श्रेणी ईट से नींव में (1:6) अनुपात में चिनाई कार्य । 3x488m x 0.38 m x 0.30 m 2x4.267m x 0.38 m x 0.30 m 1x1.219 M x 0.38 M x 0.30 M	1.67 M <sup>3</sup> 0.97 M <sup>3</sup> <u>0.14 M<sup>3</sup></u> 2.78 M <sup>3</sup>	3713.50	10323.53

17985.678



B.F 17985.678

6.	6.1A+ 6.1.14A	कुर्सी स्तर में प्रथम श्रेणी ईट से (1:6) अनुपात में चिनाई कार्य । 3x4.88m x 0.25 m x 0.40 m 2x4.267m x 0.25 m x 0.40 m 1x1.219 M x 0.25 M x 0.40 M	1.46 M <sup>3</sup> 0.85 M <sup>3</sup> <u>0.12 M<sup>3</sup></u> 2.43 M <sup>3</sup>	3713.50	9023.81
7.	6.1A+ 6.1.14A	सुपर स्ट्रक्चर में प्रथम श्रेणी ईट से (1:6) अनुपात में चिनाई कार्य 2x4.88m x 0.125 m x 0.1.90 m 1x4.267m x 0.125 m x 0.1.90 m 1x1.219 Mx0.125 M x 0.1.90 M 1x4.44 m x 0.125 m x 1.90 m 1.3.048 x 0.125 m x 1.90 M  Less for Window - 2x0.76 m x 0.125 m x 0.90 m  Less for Door 1x1.02 x 0.125 m x 1.90 m	2.32 M <sup>3</sup> 1.015 M <sup>3</sup> 0.15M <sup>3</sup> 0.118 M <sup>3</sup> <u>0.722 M<sup>3</sup></u> 4.325 M <sup>3</sup>  0.19 M <sup>2</sup>  <u>0.24 M<sup>3</sup></u> 0.43 M <sup>3</sup>	(A)	(B)
		Total B/W in super strure upto lintel Level (A-B)	3.895 M <sup>3</sup>	3713.50	14464.00
8.	5.3.0	आर.सी.सी. (1:2:4) कार्य । 3x4.88m x 0.25 m x 0.10 m 2x4.267m x 0.25m x 0.1m 1x1.219x0.25x0.1	0.36M <sup>3</sup> 0.21 M <sup>3</sup> <u>0.03 M<sup>3</sup></u> 0.60 M <sup>3</sup>	3771.22	2263.00

43736.488

K



BF 43736.488

10.	6.1A+ 6.1.14A	लिंगर स्तर से ऊपर प्रथम श्रेणी ईट से (1:6) अनुपात में चिनाई कार्य 2x4.88 m x 0.15 x 0.15 m 1x4.88 m x 0.25 m x 0.45 M 2x4.267m x 0.25 m x 0.30 m	0.336 M <sup>3</sup> 0.549 M <sup>3</sup> <u>0.64 M<sup>3</sup></u> 1.555 M <sup>3</sup>	3713.50	5774.00
11.	(i)  (ii)	एल्युमिनियम रूफिंग शीट 0.50 एम.एम. मोटा AA 3105 H18 एलोय, बाल्को/ नालको/ <del>प्लैंक</del> हिन्दालको ब्रान्ड प्रत्येक सीट पर कम्प्यूटराईज्ड लेजर प्रिन्टेड मोटा, एलोय एवं ब्रान्ड होना अनिवार्य है। providing ridging 1x5.790m x 1.050- 04.50 R/M	38.60 M <sup>2</sup>  4.50 R/h	568.40  185.00	21940.00  832.50
12.	107.	एम.एस.सीट का दरवाजा एवं खिड़की Door - 1x1.02m x 1.90 M Window - 2x0.709m x 0.96 M	1.938 M <sup>2</sup> 1.50 M <sup>2</sup> M <sup>2</sup>	2247.80	7730.00
13.	10.14	खिड़की में लोहे की ग्रील			
		मात्रा 1.5 M <sup>2</sup>	16.19 sft.		
		@ 1.5 Kg. / 9 ft. = 24.285 =	24.285 Kg.	95.60	Rs. 2322.00
14.		कुल आर. सी.सी. कार्य = 0.60 M <sup>3</sup> = 21.17 @ 2 Kg/ cft.	42.34 Kg.	65.70	Rs. 2782.00
15.	6.14 + 6.1.14A	कुर्सी के ऊपर ईट का कॉलम 5x0'10"x0'10" x 7'0" = 24.25 cft. 3x0'10" x 0'10"x8'0"=16.63 cft. or 1.158 घन मी.	1.158 घन मी.	3713.50	Rs. 4300.00

89416.988

BF- 89416.988

16.	1549	एल्युमिनियम छत के Support के लिए 40 mm dia G.I. Pipe 2x17'0" = 34 Rft. या 10.36 मी., दर 215 = 17/मी.		Rs. 2229.00
			योग	Rs. <del>90813.00</del> 91645.988
			घटाव 13.043% C.P. + O.H. (-)	Rs. <del>11845.00</del> 11953.386
				Rs. <del>78968.00</del> 79692.602

सामग्री का दुलाई भाड़ा

1.	ईट -	5190 No.	508.67 प्रति हजार	2640.00
2.	स्थानीय बालू	1.64 घन मी०	203.50 प्रति घन मी.	334.00
3.	क्यूल बालू	4.55 घन मी.	717.50 प्रति घन मी.	3265.00
4.	स्टोन चिप्स	1.52 घन मी.	1448.50 प्रति घन मी.	2202.00
5.	सीमेंट	1.30 मी.ट.	234.90 प्रति मी. ट.	305.00
			रूपया	<del>87714.00</del> 88438.602
		घटाव मजदूरी खर्च (-)	रु०	9912.00
			रु०	<del>77802.00</del> 78526.602
		जोड़ फुटकर खर्च	रु०	2198.00
			रु०	<del>80,000.00</del> 80724.602

Say Rs. 80,000.00 80724.602

*[Signature]*  
8/9/14  
V.E  
Allooli (Khagaria)


say Rs 80,000.00

*[Signature]*  
8/9/14

As a per of

for Rs 80,000

*[Signature]*  
8/9/14



FRONT- ELEVATION